न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-260RAAJodhpur2023-127RTA225 Indrasingh ors Vs Jagdish etc

01. इन्द्रसिंह पुत्र श्री पूनमचंद
02. संतोष पत्नी श्री इन्द्रसिंह
जातियान् घांची, निवासीगण- कबूतरों का चौक, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. जगदीश पुत्र अन्नाराम
02. छोटाराम पुत्र अन्नाराम
जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2023 जगदीश व अन्य बनाम इन्द्रसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 12 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2023 अनवान जगदीश व अन्य बनाम इन्द्रसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2023 के

12.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 50/2 रकबा 18 बीघा, खसरा नं. 50/5 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 50/6 रकबा 15 बिस्वा ग्राम सालावास तहसील लूणी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट्स खसरा नं. 50/5 एवं 50/6 ग्राम सालावास के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरे को अपने हिस्से का उपयोग-उपभोग करने के पूर्ण अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो कानूनन पारित नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की खरीदसुदा आराजी है तथा नक्शें में पृथक से तरमीम आबद्ध है। इसलिए प्रत्यर्थीगण अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

12.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2023 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जा रही है तथा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अंत में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिकअपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 50/5 एवं 50/6 के एकल खातेदार है तथा उनकी खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में तरमीम होकर पृथक सीमाओं से आबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

12.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं तथा पत्रावली वर्तमान में बहस हेतु विचाराधीन है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 अप्रेल 2023 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 सितंबर 2023 को उपस्थित रहे। तब तक उभय पक्ष परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर